



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24072026-274745
CG-MH-E-24072026-274745

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948

No. 591]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 22 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 650(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे पर बडोदरा डिवीजन के सेक्शन बडोदरा-गेरतपुर के बीच किमी 426/18-20 पर एलसी नंबर 257 के बदले 2 लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि के कोई हितबद्ध व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में अपनी आपति प्रकट कर सकेगा;

ऐसी प्रत्येक आपति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रांत अधिकारी आनंद, जिला आनंद, न्यू जिला सेवा सदन, गणेश चौकड़ी के पास, आनंद को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टीशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई

और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आपतियों का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात करेगा

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे पर वडोदरा डिवीजन के सेक्शन वडोदरा-गेरतपुर के बीच किमी 426/18-20 पर एलसी नंबर 257 के बदले 2 लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण विशेष रेलवे परियोजना के लिए संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण:

राज्य : गुजरात

ज़िला: आनंद

क्र. सं.	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल(वर्ग मी.)
तालुका : आनंद			ज़िला: आनंद	
गाँव : गोपालपुरा				
1.	424	निजी	गैर कृषि	171.11
2.	444	निजी	कृषि	400.26
3.	446	निजी	कृषि	896.50
4.	447	निजी	कृषि	604.18
5.	181	निजी	कृषि	105.75
6.	422	निजी	कृषि	105.75
7.	183	निजी	गैर कृषि	155.50
8.	184	निजी	कृषि	56.43
9.	421	निजी	कृषि	22.96
10.	212	निजी	कृषि	30.75
कुल				2549.19

[फा. सं. E. - 539482]

डी.आर .चौधरी, मुख्य परियोजना प्रबंधक-निर्माण/1

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railways (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd July, 2026

G.S.R. 650(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, **CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIUE OF LC NO.257 AT KM 426/18-20 BETWEEN SECTION VADODARA-GERATPUR OF VADODARA DIVISION ON**

WESTERN RAILWAY in District ANAND in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquired such land :

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Prant Officer Anand , District Anand, New jilla seva sadan, Near ganesh chowkdi, Anand** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section(II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIUE OF LC NO. 257 AT KM 426/18-20 BETWEEN SECTION VADODARA-GERATPUR OF VADODARA DIVISION ON WESTERN RAILWAY.

State: GUJARAT

District: Anand

Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquire (in Sqm)
Taluka : Anand			District : Anand	
Village : Gopalpura				
1.	424	Private	Non Agriculture	171.11
2.	444	Private	Agriculture	400.26
3.	446	Private	Agriculture	896.50
4.	447	Private	Agriculture	604.18
5.	181	Private	Agriculture	105.75
6.	422	Private	Agriculture	105.75
7.	183	Private	Non Agriculture	155.50
8.	184	Private	Agriculture	56.43
9.	421	Private	Agriculture	22.96
10.	212	Private	Agriculture	30.75
TOTAL				2549.19

[F. No. E. - 539482]

D.R. CHAUDHARY, Chief Project Manager/Construction-I